न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 177 / 2016

1 चौथु पुत्र सेडु।
2 छीतर मृत।
2/1 श्रीमती पतासी स्त्री छीतर।
2/2 रोहिताश पुत्र छीतर।
2/3 नन्दाराम पुत्र छीतर।
2/4 कालुराम पुत्र छीतर।
2/5 तारा पुत्र छीतर।
3 बाबुलाल पुत्र सेडु।
4 बन्नाराम पुत्र सेडु।
5 भगवाना पुत्र लाला।
6 माला पुत्र लाला समस्त जाति गुर्जर निवासीगण मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मूलाराम पुत्र ईशरा।
2 श्रीराम पुत्र ईशरा।
3 माला पुत्र ईशरा।
4 पूर्व पुत्र काना।
5 मोहन पुत्र काना।
6 रामावतार पुत्र काना।
7 मुकेश पुत्र काना।
8 सुल्तान पुत्र काना समस्त जाति गुर्जर निवासीगण मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9 प्रभाती देवी पत्नी बन्शीधर जाति अहीर निवासी ग्राम हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 विरेन्द्र कुमार पुत्र सतपाल जाति अरोड़ा निवासी 407 सेक्टर नम्बर 15 फरीदाबाद हरियाणा।
11 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर
बसिलसिले दावा संख्या 171/2013 उनवानी
मूलाराम आदि बनाम चौथुराम आदि दावा बाबत
उद्वघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत
धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा संख्या 171/2013 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 8 ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर में आराजियात खसरा नम्बर 193 रकबा 1.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 383 रकबा 1.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1526 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.78 हैक्टेयर तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर व खसरा नम्बर 1591 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1593 रकबा 1.00 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 2.30 हैक्टेयर तन ग्राम मण्डूस्या तहसील श्रीमाधोपुर अर्थात कुल सात खसरा नम्बरान के सम्बंध में दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उक्त दावे में रेस्पोडेंट ने विवादित आराजियात को पैतृक बताते हुये अपनी मनमर्जी मुताबिक बंटवारा बताते हुये दावा प्रस्तुत किया। उक्त दावे के सम्मनो की तामील अपीलांटन पर हुए बिना ही विचारण न्यायालय ने तथाकथित तामील को देखे बिना ही दावा प्रस्तुति की तारीख 31.05.2013 निश्चित कर दी जिस पर रिपोर्ट प्राप्त नही हुई अत बइन्तजार रिपोर्ट 07.06.2013 को पेश हो। दिनांक 07.06.2013 को रिपोर्ट पटवारी प्राप्त नही होते हुये भी वादीगण की और से प्रस्तुत साक्ष्य में 2 शपथ पत्र लेकर बहस सुनकर वादीगण अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 8 का दावा सर्वथा विरूद्व कानूनी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपीलांट को जवाब दावा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अपीलांट के सम्मन वादी संख्या 4 पूर्ण ने ही प्राप्त किये है। विचारण न्यायालय मे वादी ने बंटवारे सम्बंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी संख्या 7 की तामील हथौरा के पते पर भेजी गई जबकि बतौर गवाह इस तामील पर वादी पूर्ण के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित किया है। अपीलांट ने जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 24.05.2013 को प्रतिवादीगण की सम्यक तामील मानी जाकर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही मन्सुख करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई है। मौके पर पक्षकारान विचाराधीन निर्णय के अनुसार काबिज काश्त नही हो। ऐसा भी कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना, अपीलांट को जवाब दावा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अपीलांट के सम्मन वादी संख्या 4 पूर्ण ने ही प्राप्त किये है। विचारण न्यायालय मे वादी ने बंटवारे सम्बंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी संख्या 7 की तामील हथौरा के पते पर भेजी गई जबकि बतौर गवाह इस तामील पर वादी पूर्ण के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2013 को आदेशिका में पटवारी हल्का से कब्जे काश्त की एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेने हेतु अंकन किया है। दिनांक 31.05.2013 की आदेशिका में बइन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 07.06.2013 को नियत की गई है। दिनांक 07.06.2013 को किसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना विचारण न्यायालय द्वारा सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में विरेन्द्र कुमार पुत्र सतपाल जाति अरोड़ा निवासी 407 सेक्टर 15 फरीदाबाद (हरियाणा) का नोटिस तहसीलदार को तामील हेतु भिजवाया गया था। इस नोटिस पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि तामील बाहर की है। विचारण न्यायालय ने इस रिपोर्ट के उपरान्त भी इस पक्षकार के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी नही किये है अपितु तामील पर्याप्त मान ली है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब दावा, साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अनुसार प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर